HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 698/2025

Vishnu S/o Balu Ram Bheel, Aged About 24 Years, R/o Sodar P.s. Shambhugarh, Dist Bhilwara (At Present Lodged In Dist Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 699/2025

Kalu Regar S/o Moola Ram Regar, Aged About 23 Years, R/o Sodar Dist Bhilwara (At Present Lodged In Dist Jail Bhilwara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Matoria
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapti, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/01/2025

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अलग–अलग जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (439 सीआर.पी.सी.), के एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः–84/2024, पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा, अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित होने से उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा

विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **विष्णु पुत्र बालूराम व कालु पुत्र मूला राम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

98-99-mayank/-